कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / डी.डी.आर.सी. / 2023 / 844 श्योपुर दिनांक 18/08/2023

"संक्षिप्त विज्ञप्ति"

जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र श्योपुर के लिये कुल 14 पदों पर एक वर्ष की संविदा अवधि पर निर्धारित मानदेय पर कार्य करने के इच्छुक पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पदनाम, संख्या, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव आदि संबंधित जानकारी जिले की वेवसाइट **WWW.SHEOPUR.NIC.IN** अथवा कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यागंजन सशक्तिकरण विभाग से प्राप्त कर सकते है। आवेदन अंतिम तिथि 08/09/2023 तक कार्यालयीन समय 6:00 बजे तक जमा करना होगा, समयावधि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन मान्य नही होगा।

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प्र.)

Annexure I

S. No	Posts	qualifications	Honorarium (in Rs)
1	Clinical Psychologist / Rehabilitation Psychologist	**Clinical Psychologist** (a) M. Phil. Clinical Psychology (b) Professional Diploma in Clinical Psychology **RehabilitationPsychologist** (a) M.Phil. Rehabilitation Psychology (b) Post Graduate Diploma in Rehabilitation Psychology (PGDRP)	20000/-
2	Sr. Physiotherapist / Occupational Therapist Physiotherapist	**Sr. Physiotherapist:** 01 mandatory Qualification: BPT **Occupational Therapist:** 01 mandatory Qualification:BOT **Justification:** Both PT and OT streams are entirely 2 different disciplines and have very significant & separate roles in disability rehabilitation.	20000/-
3	Sr. Prosthetist / Orthotist (OH category)	: Bachelor in Prosthetics and Orthotics (BPO) from any Institute recognized by RCI	20000/-
4	Prosthetist/Orthotist Technician	Diploma in P&O or Certificate in P&O with 3 years' experience	16000/-
5	Audiologist & Sr. Speech Therapist	Bachelors in Audiology and Speech &Language Pathology (BASLP) or B.Sc. Speech & Hearing	20000/-
6	Hearing Assistance/ Jr. Seech Therapist Technician	Diploma in Speech & Hearing with knowledge of hearing aids repair/ear- mould making **Speech & Hearing** : Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) **Ear-Mould Technician** Diploma in Hearing Aid Repair and Ear Mould Technology (DHAREMT)	16000/-
7	Mobility Instructor	Matriculation & Certificate/ Diploma in Mobility Eligibility: Preferably Bachelor in Mobility Science (B.M.Sc.) or D.Ed.Spl.Ed./B.Ed.Spl.Ed. in Visual Impairment	16000/-
8	Multi-Purpose Rehabilitation Worker	Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR)/ Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) / Community Based Inclusive Development (CBID)/MRW	16000/-
9	Accountant cum clerk cum storekeeper	B.Com/SAS with 2 years' experience	12000/-
10	Attendance cum Peon cum Messenger	Class VIII pass	8000/-
11	Vocational Counsellor cum Computer Assistant	: Diploma in Vocational Rehabilitation (DVR) / Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling (ADCGC) / Bachelor of Rehabilitation Science (B.R.Sc.)	14500/-
12	Early Intervention Therapist Eligibility:	PGDDT / PGDEI / BMR / BRSc / BRT / MRSc / MSc-EI	14500/-
13	Trans-Disciplinary Special Educator (02 numbers)	Eligibility for the two positions: a) DEdSE / BEdSE in Hearing Impairment b) DEdSE / BEdSE in VI/ID/CP/ASD/ MD/Db/SLD	14500/-
14	Caregiver Eligibility:	CCCG-RCI / CCCG-National Trust or Class VIII passed with 3 years' experience in caregiving of PwD	6500/-
15	Administrative officer	POST Graduate with 5 years experience in disabilitiy related field.	16000/-

कलेक्टर

नियम एवं संबंधित शर्तेः—

1. उक्त पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होगें।
2. सभी दिव्यांग पुनर्वास पेशेवर को जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. उक्त पद पूर्णतः अशासकीय है। शासन पक्ष के विरूद्ध न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत करने की स्थिति शून्य मानी जायेगी।
4. उक्त पद पर नियुक्ति एक वर्ष के संविदा पर रहेगा। कार्य में गुणवत्ता/संतोषजनक नही पाये जाने पर केन्द्र के सचिव/अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय 01 माह के नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जावेगी एवं आवेदक की नियुक्ति के बाद किसी अपरिहार्य कारणों से सेवाएं छोड़ी जाती है तो 01 माह का मानदेय जिला दिव्यांग पुर्नवास केन्द्र श्योपुर के बैंक खाते में राशि जमा करना होगी।
5. नियुक्ति में पात्र पाये जाने पर 15 दिवस में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. मेडीकल प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अयोग्य पाये जाने पर बिना सूचना के नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।
7. नियुक्त व्यक्ति के शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताये संबंधी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।
8. कार्यालय में नियुक्त किये आवेदक को उपस्थित प्रतिवेदन के साथ 500 रूपये का स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
9. आवेदन पत्र स्वयं के हस्ताक्षर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 08/09/23 को कार्यालय समय तक कलेक्टर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला—श्योपुर अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिये इसके उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।
10. संबंधित क्षेत्र में अनुभव के लिये जिस संस्था में कार्य किया हो उसका नियुक्ति आदेश अनुभव प्रमाण पत्र एवं वेतन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
11. संविदा चयन का आधार न्यूनतक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर तैयार मेरिट अनुसार होगा। दो आवेदकों के समान अंक/प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
12. उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की भर्ती संबंधी चयन प्रक्रिया अंतर्गत आयु एवं अर्हता तथा अन्य के संबंध में राज्य सरकार के नियम निर्देश लागू होगें।
13. नियुक्ति जिला प्रबधन दल श्योपुर द्वारा की जावेगी। भर्ती प्रक्रिया में जिला प्रबंधन दल निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
14. चयनित अभ्यार्थी को नियुक्ति उपरांत पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।
15. सरल क्रमांक 01 से 14 तक के पदों हेतु आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत पर मेरिट आधार पर जिला प्रबंधन दल के द्वारा निर्णय लिये जायेगें।
16. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र संबधी नवीन गाइडलाईन 01.04.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन साशक्तिकरण विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देश/नियम लाघू रहेगे।
17. किसी भी विवाद की स्थिती में अध्यक्ष जिला प्रबधन दल जिला—श्योपुर का निर्णय अंतिम होगां।

कलेक्टर
जिला श्योपुर (म.प)